



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - थाना राजेपुर

दिनांक :- 24.01.2024

थाना राजेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 78/24 धारा 137 (2) /87 बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रवीन्द्र राय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर पर पंजीकृत मु0अ0स0 78/24 धारा 137(2)/87 में प्रकाश में आये अभियुक्त भूपेन्द्र पुत्र नवलकिशोर निवासी ग्राम उजरामऊ थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

01. भूपेन्द्र पुत्र नवलकिशोर निवासी ग्राम उजरामऊ थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 15.07.2024 को थाना राजेपुर पर वादी मुकदमा द्वारा सूचना दी गयी की वादी की पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर विवाह करने के उद्देश्य भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना राजेपुर पर दिनांक 15.07.24 को मु0अ0स0 87/24 धारा 137 (2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसमें तत्परता दिखाते हुये राजेपुर पुलिस द्वारा अपहर्ता/पीड़िता को दिनांक 20.07.2024 को सकुशल बरामद किया गया। अपहर्ता/पीड़िता के धारा 180/183 बीएनएसएस के बयान के आधार विवेचना उपरोक्त में अभियुक्त भूपेन्द्र पुत्र नवलकिशोर निवासी ग्राम उजरामऊ थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ का नाम प्रकाश में आया था। जो वाँछित चल रहा था। विवेचना के क्रम में धारा 87 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। दिनांक 24.01.2025 को थाना राजेपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त भूपेन्द्र उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त के द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुये अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया।

अभि0 भूपेन्द्र का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 78/24 धारा 137 (2)/ 87 बीएनएस थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना राजेपुर पुलिस:

1. उ0नि0 श्री अमित कुमार
2. का0 विक्रान्त ।

मीडिया सेल फतेहगढ़।

प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 24.01.2025

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 014/25 धारा

331(4)/305/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण को

चोरी किये गये माल सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस टीम द्वारा थाना कादरीगेट पर पंजीकृत मु0अ0सं0-14/25 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण 01.निगम उर्फ चिमटा पुत्र मलिया उर्फ सर्वेश निवासी लकूला थाना कादरीगेट जनपद फर्रुखाबाद 02. लाला उर्फ शिवम पुत्र वरुआ उर्फ दीपचन्द निवासी लकूला थाना कादरीगेट जनपद फर्रुखाबाद को चोरी की गयी एक बिजली मोटर कवर मय कोइल व दो ढक्कन मय पुरानी जंजीर लगी हुई तथा एक पाईप कोनिया सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 01.निगम उर्फ चिमटा पुत्र मलिया उर्फ सर्वेश निवासी लकूला थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।
02. लाला उर्फ शिवम पुत्र वरुआ उर्फ दीपचन्द निवासी लकूला थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- दिनांक 18.01.2025 की रात्रि में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा आवास विकास लकूला सीवर प्लान्ट में दीवार तोड़कर सामान चोरी कर लिया गया था, जिसके सम्बन्ध में वादी श्री नीरज कुमार वर्मा (जोन प्रभारी जलकल न0 पा0 परिषद) पुत्र स्व0 हरीशंकर वर्मा निवासी 3/74 पक्का पुल घाट मण्डी कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़ की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कादरीगेट पर मु0अ0सं0- 14/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था। विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 01.निगम उर्फ चिमटा पुत्र मलिया उर्फ सर्वेश निवासी लकूला थाना कादरीगेट जनपद फर्रूखाबाद 02. लाला उर्फ शिवम पुत्र वरुआ उर्फ दीपचन्द निवासी लकूला थाना कादरीगेट जनपद फर्रूखाबाद को चोरी की गयी एक अदद बिजली मोटर कवर मय कोइल व दो ढक्कन मय पुरानी जंजीर लगी हुई तथा एक पाईप कोनिया सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण ने एक राय होकर बताया कि हम दोनों ने मिलकर दिनांक 18.01.2025 को आवास विकास लकूला सीवर प्लान्ट से रात्रि में सामान चोरी कर लिया था। आज हम दोनों मिलकर चोरी का सामान को बेचने जा रहे थे, कि आपने हम लोगों को पकड़ लिया है। साहब गलती हो गयी है माफ कर दीजिये।

बरामदगी का विवरण:- 01. 01 बिजली मोटर कवर मय कोइल 02. 02 ढक्कन मय पुरानी जंजीर लगी हुई 03. 01 पाईप कोनिया ।

अभियुक्त निगम उर्फ चिमटा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 01.मु0अ0सं0 256/2024 धारा 305/317(2)/324(4)/331(4) बीएनएस थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।
- 02.मु0अ0सं0 847/2020 धारा 272 भादवि व 60(2) आबकारी अधिनियम थाना कोत0 फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़।
- 03.मु0अ0सं0 01/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोत0 फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़।
- 04.मु0अ0सं0 1081/20 धारा 21/22 एनडीपीएस अधिनियम थाना कोत0 फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़।
- 05.मु0अ0सं0 163/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।
06. मु0अ0सं0- 14/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त लाला उर्फ शिवम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 01.मु0अ0सं0- 14/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार – चौकी प्रभारी आवास विकास थाना कादरीगेट
2. का0 रिकू चाहर
3. का0 राजन सिंह
4. का0 प्रशान्त कुमार
5. का0 वीरेश कुमार
6. का0 संदीप कुमार
7. का0 यशवीर
8. का0 सतेन्द्र कुमार।

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना नवाबगंज

दि०-24.01.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अपचारी AXXX पुत्र हरद्वारीलाल निवासी बलीपुर थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 431/2011 बाद स०- 21/2013 धारा- 302,201 भा०द०वि० थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 24.01.2025 को मा० न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कारावास से दण्डित किया गया।



एपीओ- श्री नजमुद्दीन कादरी



को०मो० म०का० प्रियंका चाहर



पैरोकार हे०का० विनीत यादव



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फतेहगढ़

दि-24.01.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ पप्पू पुत्र सूरज प्रसाद निवासी रम्पुरा कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 292/1998 वाद स०- 505/2024 धारा- 379,411 भा०द०वि० कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 24.01.2025 को मा० न्यायालय एसीजेएम /एफटीसी एक्ट कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**



एपीओ- श्रीमती करुणा सिंह



को०मो० का० अकुर कुमार



पैरोकार का० मो० साकिब



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मऊदरवाजा

दि-24.01.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रंजीत पुत्र दाताराम निवासी पंचपुखरा थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 113/2016 बाद सं०- 23/2016 धारा- 452,354 भा०द०वि० व 8 पाक्सो एकट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अधियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 24.01.2025 को मा० न्यायालय स्पेशल पाक्सो कोर्ट फरुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दोषसिद्ध कर 04 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



एडीजीसी- श्री प्रदीप कुमार सिंह



को०मो० हे०का० राजेन्द्र कुमार



पैरोकार का० नितिन यादव

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फर्रुखाबाद

दि0- 24.01.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभि०गण 1. साहब सिंह पुत्र अमान सिंह 2. विद्यावती पत्नी विश्वनाथ निवासी गण ग्राम रमई थाना बेबर जनपद मैनपुरी मु०अ०सं०- 0027/2000 वाद स०- 2346/2024 धारा- 380 भा०द०वि० थाना को० फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त गण के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 24.01.2025 को मा० न्यायालय अपर सिविल जज (सी०डि०) फर्रु० द्वारा अभियुक्त गण प्रत्येक को जेल में बिताई गयी अवधि व 1500-1500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ- श्रीमती करुणा सिंह



कोर्ट मोहरीर म०का० आरती शर्मा



पैरोकार का० रोहित कुमार